राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक :F 26(4)( )VC/PMMVY/ICDS/2017/ 79703 दिनांक : 8-5-18

दिनांक 03.05.2018 को प्रमुख शासन सचिव महोदया, मबावि की अध्यक्षता में PMMVY योजना की समीक्षा हेतु आयोजित वी.सी. का कार्यवाही विवरण

दिनांक 03.05.2018 को प्रमुख शासन सचिव महोदया, मबावि की अध्यक्षता में PMMVY योजना की समीक्षा हेतु वी.सी. आयोजित की गई। उक्त वी.सी. में निदेशालय से श्रीमती सुषमा अरोड़ा, निदेशक, आईसीडीएस, श्रीमती बिन्दु करूणाकर, राज्य प्रभारी अधिकारी (PMMVY)/अतिरिक्त निदेशक (आई) तथा जिला स्तर पर उपनिदेशक, मबावि, तथा ब्लॉक स्तर पर समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी के साथ ब्लॉक की समस्त महिला पर्यवेक्षकों द्वारा भाग लिया गया। वी.सी. के दौरान प्रमुख शासन सचिव महोदया, मबावि द्वारा निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये गयेः–

1. माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा PMMVY की प्रगति बैठक के माध्यम से समीक्षा ली जाती है। आगामी प्रगति बैठक शीघ्र ही आयोजित होने की संभावना है। अभी तक राज्य में PMMVY की प्रगति संतोषजनक नहीं है। अतः सभी उपनिदेशक व बाल विकास परियोजना अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे अपने–अपने जिले व परियोजनाओं में PMMVY के कार्य में गति लाएगें।
2. सभी उपनिदेशक एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे 10 मई, 2018 तक आपने पास लंबित पड़े ऑफ लाईन फार्म को फीड करके लंबित समाप्त की जाये तथा 15 मई, 2018 तक लक्ष्य के अनुरूप ऑफलाईन फार्म एकत्रित करके उनकी फीडिंग करवाना सुनिश्चित करें।
3. सभी उपनिदेशक परियोजनावार तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी सेक्टरवार दैनिक ऑफलाईन फार्म तथा फीडिंग की समीक्षा करेंगे।
4. प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र से लगभग औसत रूप से 8 न्यूनतम पीएमएमवीवाई लाभार्थियों का पंजीकरण अनुमानित है। कुछ जिलों की स्थिति अत्यन्त न्यून है। जिलेवार फार्म 1A का अनुमानित लक्ष्य व उपलब्धि निम्नानुसार है :–

SN	District	No of AWCs	Target	Target Completed till 1st May, 2018	% of target Form 1 A completed as on 1st May, 2018
1	JALORE	1884	**15072**	669	4%
2	JAISALMER	831	**6648**	686	10%
3	SIROHI	873	**6984**	1,202	17%
4	PALI	1745	**13960**	1,223	9%
5	KARAULI	1305	**10440**	1,321	13%
6	BARAN	1616	**12928**	1,324	10%
7	RAJSAMAND	1225	**9800**	1,534	16%
8	PRATAPGARH	1226	**9808**	1,668	17%
9	KOTA	1278	**10224**	1,831	18%
10	DHOLPUR	1031	**8248**	1,907	23%
11	S. MADHOPUR	1101	**8808**	1,924	22%
12	DAUSA	1352	**10816**	2,091	19%
13	DUNGARPUR	2108	**16864**	2,122	13%
14	BHARATPUR	2073	**16584**	2,471	15%
15	TONK	1475	**11800**	2,585	22%
16	BIKANER	1502	**12016**	2,755	23%
17	BARMER	3541	**28328**	2,816	10%
18	BANSWARA	2116	**16928**	2,864	17%
19	BUNDI	1200	**9600**	3,012	31%
20	ALWAR	3448	**27584**	3,032	11%
21	AJMER	1974	**15792**	3,422	22%

SN	District	No of AWCs	Target	Target Completed till 1st May, 2018	% of target Form 1 A completed as on 1st May, 18
22	CHITTORGARH	1779	**14232**	3,660	26%
23	SIKAR	2219	**17752**	3,809	21%
24	JODHPUR	2678	**21424**	4,233	20%
25	NAGAUR	2871	**22968**	4,746	21%
26	HANUMANGARH	1242	**9936**	5,473	55%
27	JHUNJHUNU	1588	**12704**	5,546	44%
28	CHURU	1611	**12888**	5,559	43%
29	BHILWARA	2217	**17736**	5,886	33%
30	JHALAWAR	1501	**12008**	6,108	51%
31	UDAIPUR	3173	**25384**	6,216	24%
32	JAIPUR	4250	**34000**	9,753	29%
33	GANGANAGAR	1978	**15824**	12,758	81%
	Total	**62011**	**496088**	**116206**	**23%**

5. कुछ परियोजनाओं में लक्ष्यों की तुलना में बहुत कम फार्म फीड हो रहे है। इसी तरह से कई पर्यवेक्षकों ने आंवटित सेक्टर के आंगनबाड़ी केन्द्रों की तुलना में 10 प्रतिशत फार्म भी प्राप्त नहीं किए है। इससे PMMVY के कार्य के प्रति उनकी लापरवाही स्पष्ट होती है। समस्त उपनिदेशक अपने जिले में 50 प्रतिशत से कम उपलब्धि तथा महिला पर्यवेक्षकों के कार्य प्रदर्शन में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाये। ऐसे खराब प्रदर्शन वाली परियोजनाओं में उपनिदेशक स्वयं जाकर PMMVY की समीक्षा करें।
6. कुछ जिलों में महिला पर्यवेक्षकों के पदों के रिक्त होने के कारण PMMVY का कार्य प्रभावित हो रहा है। यह कार्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। अतः उपनिदेशक जिलें में महिला पर्यवेक्षकों के पदों के अधिक संख्या में रिक्त होने पर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में PMMVY का कार्य पूर्व प्राथमिक शिक्षक (NTT) से करवाया जा सकता है।
7. भारत सरकार ने PMMVY-CAS में LMP के 730 दिन में आवेदन प्राप्त करने के लिए समय–सीमा में छूट केवल सीमित समय के लिए दी है। यह छूट केवल 1 अप्रेल, 2016 से 30 सितम्बर, 2016 के मध्य LMP के लिए है। अतः इस समय की LMP वाली गर्भवती महिलाओं के आवेदन प्राथमिकता से भरना सुनिश्चित करावें।
8. वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा न्याय आपके द्वार शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें विभाग की अन्य गतिविधियों के साथ–साथ PMMVY तथा राजश्री योजना का पर्याप्त प्रचार–प्रचार कर लाभार्थियों से इनके फार्म भराये जाये।
9. सभी गर्भवती महिलाओं की गर्भावस्था का शीघ्र पंजीकरण हो तथा पहली एएनसी जल्द से जल्द करायी जाये, जिससे पहली व दूसरी किश्त का समय पर भुगतान हो सकें। फार्म ए, बी व सी को भरते समय उनके बैंक खाते/पोस्ट ऑफिस का विवरण तथा आधार नम्बर सही भरा जाये।
10. समस्त महिला पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से प्राप्त फार्म को सत्यापन करके 2–3 दिवस में ही बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। फार्म बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने से पूर्व यह सुनिश्चित करे कि फार्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज तथा सभी अनिवार्य विवरण सही भरे गए है।
11. बाल विकास परियोजना अधिकारी महिला पर्यवेक्षक से प्राप्त होने वाले फार्म को उसी दिन PMMVY-CAS में ऑनलाईन फीडिंग करना सुनिश्चित करें तथा यदि कोई फार्म करेक्शन के लिए PMMVY-CAS में वापस आता है तो उसे उसी दिन करेक्शन करके PMMVY-CAS में फीड करें।

12. सभी बाल विकास परियोजना अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्रतिदिन 3 बार (सुबह, दोपहर व शाम) को PMMVY-CAS में अपनी लॉगिन आईडी को खोले तथा लंबित आवेदन को अनुमोदन/निस्तारण करावें।
13. ऐसा देखने में आया है कि कई परियोजनाओं में PMMVY फार्म बड़ी संख्या में लंबित है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे डेटा फीडिंग वाली एजेन्सी से फार्म फीडिंग कराने के कार्य को प्राथमिकता नहीं दे रही है। अतः सभी बाल विकास परियोजनाओं को निर्देशित किया जाता है कि वे 7 दिवस में सभी पेन्डिंग फार्मस को फीड कराना व अनुमोदन करना सुनिश्चित करावें।
14. PMMVY के सफल क्रियान्वयन एवं इसकी नियमित मॉनिटरिंग करने हेतु प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) के आदेश क्रमांक एफ.6(34)/प्र.सु./अनु.3/2014 दिनांक 20.11.2017 द्वारा राज्य, जिला व ब्लॉक स्तर पर क्रमशः राज्य, जिला व ब्लॉक स्तरीय स्टेयरिंग एवं मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। उक्त समिति द्वारा PMMVY की समीक्षा की जाती है। जिसके अनुसार जिला तथा परियोजना स्तर पर जिला कलेक्टर महो0 तथा एसडीएम महो0 की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में इसकी समीक्षा की जानी थी। सभी उपनिदेशकों को निर्देशित किया जाता है कि शीघ्र जिला कलेक्टर महो0 की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पर स्टेयरिंग तथा मोनिटरिंग समिति की समीक्षा करके उसमें PMMVY की परियोजनावार तथा सेक्टरवार आवंटित लक्ष्य के विरूद्ध प्राप्त उपलब्धि के आधार पर समीक्षा करें।
15. PMMVY के तहत फलैक्सी फण्ड के माध्यम से टीम इन्सेन्टीव तथा डेटा फीडिंग का प्रावधान किया गया है। सभी बाल विकास परियोजना अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इन्सेन्टीव का भुगतान समय पर मानदेयकर्मियों को किया जाये ताकि वे अधिक से अधिक कार्य करने हेतु प्रोत्साहित हो सकें।
16. PMMVY का पर्याप्त प्रचार–प्रसार करने की आईईसी के माध्यम से विशेष प्रयास किये जाये ताकि योजना का अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार हो तथा लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल सकें।

अंत में सधन्यवाद वी.सी. समाप्त हुई।

(सुषमा अरोड़ा)
निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राज. जयपुर

क्रमांक :F 26(4)( )VC/PMMVY/ICDS/2017/ 79704 – 80046 दिनांक : 8-5-18

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, आईसीडीएस
3. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एनएचएम, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
4. निजी सचिव, राज्य प्रभारी अधिकारी (PMMVY)/अतिरिक्त निदेशक (आई), आईसीडीएस
5. समस्त उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग।
6. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएँ।
7. कम्प्यूटर प्रोग्रामर को विभागीय बेवसाईट पर डालने हेतु।

(बिन्दु करूणाकर)
राज्य प्रभारी अधिकारी (PMMVY)/
अतिरिक्त निदेशक (आई)